

०९०८५

1188



उत्तराखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(भाग १)

2011-2012

उत्तराखण्ड सरकार

©
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
2012



उत्तराखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड-1)

2011–2012

उत्तराखण्ड सरकार

(I)

| III | | |
|---------|---|--------------|
| विषय | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
| खण्ड-1 | | |
| | विषय सूची | |
| | भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण— पत्र | v-vii |
| | वित्त लेखे की मार्गदर्शिका | ix-xvi |
| 1 | वित्तीय स्थिति का विवरण | 1-2 |
| 2 | प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण | 3-4 |
| 3 | प्राप्तियों का विवरण | 5-9 |
| 4 | व्यय का विवरण (समेकित निधि) | |
| | क. क्रियाकलाप से ब व्यय का स्वरूप | 10-18 |
| | लेखों पर टिप्पणियां | 19-27 |
| (अ)(i) | अनुलग्नक—मुख्य लेखाशीर्ष जहां अधिकांश व्यय “अन्य व्यय” में वर्गीकृत है | 28 |
| (अ)(ii) | अनुलग्नक—मुख्य लेखाशीर्ष जहां अधिकांश प्राप्तियां “अन्य प्राप्तियां” में वर्गीकृत हैं | 29 |
| | परिशिष्ट—I रोकड़ प्रवाह विवरण | i-iv |
| खण्ड-2 | भाग-1 | |
| 5 | प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण | 35-42 |
| 6 | उधार एवं अन्य देयता का विवरण | 43-47 |
| 7 | सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण | 48-49 |
| 8 | सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण | 50 |
| 9 | सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण | 51-56 |
| 10 | दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण | 57-58 |

| | IV | |
|--------------|--|--------------|
| | भाग—2 | |
| 11 | लघुशीर्षवार राजस्व एंव पूजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण | 61-85 |
| 12 | लघुशीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण | 86-143 |
| 13 | पूजीगत व्यय का व्यौरेवार विवरण | 144-238 |
| 14 | सरकार द्वारा निवेश का व्यौरेवार विवरण | 239-257 |
| 15 | उधार एंव अन्य देयताओं का विवरण | 258-263 |
| | विवरण संख्या 15 का परिशिष्ट | 264-273 |
| | परिपक्वता खाका | 274-280 |
| 16 | सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एंव अग्रिमों का विस्तृत विवरण | 281-320 |
| 17 | राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्त्रोतों व उनके प्रयोग का विस्तृत विवरण | 321-323 |
| 18 | आकस्मिकता निधि और लोक लेखा लेन-देनों का व्यौरेवार विवरण | 324-342 |
| | विवरण संख्या 18 का परिशिष्ट | 343-345 |
| 19 | उद्दिष्ट निधियों के निवेश का व्यौरेवार विवरण | 346-352 |
| भाग—3 | परिशिष्ट | v |
| II | वेतन पर तुलनात्मक व्यय | vi-xv |
| III | उपादान पर तुलनात्मक व्यय | xvi-xxxiv |
| IV | राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक/सहायता (संख्या एंव योजना अनुसार) | xxxv-xl |
| V | वाह्य सहायता योजनाएँ | xli |
| VI | व्यय योजना (अ) केन्द्रीय योजनागत (ब) राज्य योजनागत | xlii-lix |
| VII | एजेंसियों को लागू करने के लिए राज्य में केन्द्रीय योजना के धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (धन राज्य बजट के बाहर कराई) (बिना जांचा हुआ आंकड़ा) | lx-lxvii |
| VIII | (संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते) | lxviii-lxxii |
| IX | सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम | lxxiii |
| X | अपूर्ण पूजीगत निर्माण कार्यों का विवरण | lxxiv-cvii |
| XI | अनुरक्षण व्यय का विस्तृत विवरण | cviii-cix |
| XII | वर्ष के दौरान नई योजनाओं हेतु प्रस्तावित भविष्य के रोकड़ प्रवाह निहितार्थ मुख्य निति निर्धारण का विवरण | cxi-cxi |

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विंत लेखे शामिल हैं जो वित्तीय स्थिति के साथ सरकार के वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। ये लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खण्ड—I राज्य के वित्त की समेकित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं एवं खण्ड-II लेखे के विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं।


वित्त लेखाओं को नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ पठित हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (संख्या 09), विवरण संख्या 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 2 और परिशिष्ट (X और XII) को उत्तराखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ—साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का प्रधान महालेखाकार (लेझो एवं हक्को) के कार्यालय के माध्यम से निर्वहन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित इन लेखाओं पर विचार की अभिव्यक्ति हेतु इन लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती हैं ये कार्यालय निश्चित संवगों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबन्ध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन हैं।

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अयर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2011-12 वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्रे 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली उत्तराखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 4 SEP 2012

स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका

(अ) सरकारी लेखों की संरचना का विस्तृत विहंगालोकनः

1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं—

भाग—I समेकित निधि: राज्य के समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।


भाग-II आकस्मिकता निधि: विधान सभा कानून के द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है जो कि एक अप्रदाय प्रकृति की होती है। यह निधि राज्यपाल अधीन होती है जो कि अप्रत्यासित व्यय की पूर्ति करने हेतु होती है जो कि विधान परिषद द्वारा अभी तक पारित नहीं है की पूर्ति हेतु अग्रिम की तरह कार्य करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति व्यय को सम्बन्धित लेखा शीर्ष को नामे डालकर राज्य की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

भाग-III लोक लेखा: अन्य वे सभी लोक धन जो कि शासन या उसकी तरफ से प्राप्त किया जाता है, लोक लेखे में जमा किया जाता है। इस लेखे से सम्बन्धित संव्यवहारों पर विधान सभा में चर्चा नहीं की जाती। इस लेखे से सम्बन्धित प्राप्तियों में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। संव्यवहार जो कि ऋण (लोक ऋण भाग -I को छोड़कर) जमा अग्रिम संचित निधियाँ प्रेषण और उचंत से सम्बन्धित होते हैं, लोक लेखा होते हैं।

(X)

अ. 1.1 सरकारी लेखों की संरचना का चित्रीय निरूपण

सरकारी लेखों की संरचना



2. खण्ड, अनुभाग एवं प्रक्षेत्र इत्यादि।

उपरोक्त पूर्व पृष्ठ के 'अ' 1.1 में वर्णित समेकित निधि के दो मुख्य खण्ड हैं। 'राजस्व एवं पूंजीगत, लोक ऋण, ऋण इत्यादि' जो कि प्राप्तियों एवं व्यय अनुभाग में विभाजित किए जाते हैं। समेकित निधि के प्रत्येक खण्ड एवं अनुभाग में व्यय की तरफ के संव्यवहार, समान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ प्रक्षेत्र में समाहित किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत विशेष कार्य एवं सेवाएँ समाहित हैं। प्रक्षेत्रों को उपप्रक्षेत्र एवं लेखे के मुख्य लेखा शीर्षों में उपविभाजित किया जाता है। मुख्य लेखा शीर्ष क्रिया कलापों को बताते हैं तथा इनको उपमुख्य लेखाशीर्ष (उप क्रिया कलाप) एवं लघु शीर्ष (कार्य) जो कि वित्त लेखे के खण्ड दो में वर्णित हैं, विभाजित किया जाता है। लघु शीर्षों के नीचे उपशीर्ष (योजनाएँ), विस्तृत शीर्ष एवं ब्यौरेवार शीर्षों (व्ययों के उद्देश्यों) को (कुछ अपवादों को छोड़कर) वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यद्यपि कुछ विस्तृत ब्यौरों को परिशिष्टों में समिलित किया जाता है।

(ब). विवरणों में समिलित ब्यौरा।

वित्त लेखे दो खण्डों में विभाजित किए गए हैं।

खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सामान्य समझ हेतु विवरणात्मक प्रारूप में जबकि खण्ड 2 विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमाण पत्राचार संक्षिप्त विवरण जैसे नीचे दिए गए हैं एवं लेखे की नीतियों से सम्बन्धित लेखे की टिप्पणियां समिलित हैं।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण: विवरण में सरकार के सम्पत्ति एवं दायित्वों के संक्षिप्त आंकड़े जो कि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होते हैं, दर्शाये जाते हैं। प्रतिगामी पूंजीगत परिव्यय के साथ सम्पत्ति वृहत् वित्तीय सम्पत्ति है जो कि सरकार के भौतिक परिसम्पत्ति को दर्शाती है। सम्पत्ति लेखे की नीतियों के अनुसार पहले से दर्शित कीमतों को प्रदर्शित करता है।

2. प्राप्तियों एवं वितरणों के विवरणः यह एक संक्षिप्त विवरण है जो कि सरकार के तीनों निधियों समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में वर्ष के दौरान हुए प्राप्तियों एवं वितरणों को दर्शाता है। इसके अलावा समेकित निधि के अन्दर राजस्व एवं पूंजीगत लेखों की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग—अलग दर्शाया जाता है।

सरकार की वित्तीय सीमा

प्राथमिक, राजस्व एवं वित्तीय घाटा राज्य के समेकित निधि के प्रचालन पर आगणित किया जाता है। इसलिए समेकित निधि के प्रचलन हेतु निम्न दो विविरण संक्षिप्त रूप से दिए जाते हैं।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण अन्य संस्थानों, बाजार ऋण जो सरकार ने लिए हैं ऋणों के कारण वसूलियां एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) : यह विवरण न केवल कार्यों के द्वारा व्ययों को दर्शाता है बल्कि कार्यों की प्रकृति (व्ययों के उद्देश्यों) का संक्षिप्त व्यय भी प्रदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त खण्ड परिशिष्ट, परिशिष्ट – 1 जो कि सरकार के प्राप्तियों एवं वितरणों का रोकड़ प्रवाह वितरण के रूप में एक वैकल्पिक प्रदर्शन है।

द्वितीय खण्ड में तीन भाग सम्मिलित है। प्रथम भाग में निम्न छः विवरण दिए गए हैं।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण : यह विवरण पूंजीगत कार्यकलापों के प्रगामी कार्य को प्रदर्शित करता है जिसका योग विवरण संख्या एक में दर्शाया गया है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के ऋणों के अन्तर्गत बाजार से लिया गया ऋण (आन्तरिक ऋण) भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। ये दोनों सम्मिलित रूप से राज्य सरकार के लोक ऋण हैं। इसके साथ ही इस संक्षिप्त विवरण में 'अन्य प्राप्तियां' जो कि लोक लेखे के विभिन्न प्रक्षेत्रों में शेष हैं को भी प्रदर्शित करता है। लोक लेखे के शेषों के सम्बन्ध में सरकार एक धरोहरी या संरक्षक है इसलिए सरकार इन शेषों के प्रति उत्तरदायी होती है। इस विवरण में ऋणों की सेवाओं पर टिप्पणी भी सम्मिलित है जो कि राजस्व प्राप्ति पर कुल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी होती है।

(XIII)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का विवरण : राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को विवरण संख्या एक में तथा वसूलियों एवं भुगतानों के प्रकृति को विवरण संख्या—2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहां ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त क्षेत्र और ऋणी समूहवार है। इसके नीचे ऐसे ऋणों की अवशेष वसूली के सम्बन्ध में एक टिप्पणी अंकित की गयी है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार तथा राज्य सरकार के विभागों में रखा गया है।

8. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदानों का विवरण : अनुदान दाता संस्थान को समूहवार तैयार किया गया है। इसमें दिए गए अनुदानों के प्रकार के सम्बन्ध में टिप्पणी भी सम्मिलित की गयी है।

9. सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धताओं का विवरण : वर्ष के दौरान वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों जिनके पुर्णभुगतान की वचनबद्धताएँ राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं तथा वर्ष के अन्त में जिन राशियों की वचनबद्धताएँ अवशेष हैं। उनको इस विवरण में दिखाया गया है।

10. प्रभारित एवं दत्तमत्त व्ययों का विवरण : यह विवरण सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्ययों को दर्शाता है।

भाग-II खण्ड-2: इस भाग में लघुशीर्षवार 9 विवरण हैं। जो कि लेनदेनों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण खण्ड-1, भाग-I से सम्बद्ध हैं।

11. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

12. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को अलग-अलग दिखाया गया है तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलना भी उपलब्ध है।

13. लघु शीर्षवार पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के पूंजीगत परिव्ययों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलना भी उपलब्ध है। वर्ष के अन्त तक के एक मुश्त पूंजीगत परिव्ययों को भी दर्शाया गया है।

(XIV)

14. सरकार के विनियोगों का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के विगत वर्षों की अंशापूंजी एवं ऋण पत्रों में निवेश की स्थिति को दर्शता है। विवरण में अंशापूंजी के प्रकार जिनको लिया गया है, मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि सम्मिलित है।

15. उधार एवं अन्य देताओं का विस्तृत विवरण : लघु शीर्षवार उधारों का विस्तृत विवरण (सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण) परिपक्वता तथा ऋणों के पुर्णभुगतान का पूर्ण विवरण इसमें शामिल है। यह विस्तृत विवरण खण्ड-II भाग-1 के विवरण संख्या-6 से सम्बद्ध है।

16. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण : सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण, ऋण शेषों में बदलाव ऋणों का अपलेखन, ऋणों पर ब्याज प्राप्ति इत्यादि इस विवरण में सम्मिलित है। यह आयोजनागत ऋणों को पृथक से दिखलाता है यह विस्तृत विवरण खण्ड-2, भाग-1 विवरण 7 से सम्बद्ध है।

17. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय हेतु अन्य स्रोतों एवं प्रयासों से प्राप्त निधि का विस्तृत विवरण : पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) तथा व्ययों हेतु अन्य स्रोतों से निधि का विवरण इसमें दर्शाया गया है।

18. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेनदेनों का विस्तृत विवरण : यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में बदलाव, निधि को विनियोग, व्यय, धनराशि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है।

19. उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण : यह विवरण लोक लेखे के आरक्षित निधियों के अतिरिक्त विनिवेश को विस्तृत रूप से दर्शाता है।

खण्ड-2, भाग-III में परिशिष्ट हैं जिनमें वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, व वाहय सहायतित परियोजनाओं का विस्तृत रूप, वृहद् केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं इत्यादि में योजनावार व्यय को दर्शाया गया है। इस विवरण में लेखे के उपशीर्ष स्तर (लघु शीर्ष से नीचे) जो कि वित्त लेखे में नहीं है को दर्शाया गया है। इनकी एक विस्तृत सूची खण्ड-1 तथा 2 के अनुक्रमणिका में दी गई है। परिशिष्टों को विवरणों के साथ पढ़ने से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(XV)

(स) शीघ्र गणक : विवरणों में क्या सम्मिलित है इसकी तुरन्त जानकारी हेतु नीचे सारणी दी गई है। जिसमें महत्वपूर्ण पैरामीटर के सन्दर्भ में संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण दिया गया है। नीचे दिये गए परिशिष्टों की संख्या विस्तृत नहीं है।

| पैरामीटर | विवरणों का सार (खण्ड-1) | विस्तृत विवरण (खण्ड-2) | परिशिष्ट |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित) | 2,3 | 11 | |
| राजस्व व्यय | 2,4 | 12 | 2 (वेतन), 3 (उपादान) |
| सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान | 2 | 8 | 4 |
| पूंजीगत प्राप्तियाँ | 2,3 | 11 | |
| पूंजीगत व्यय | 1,2,4 | 5,13,17 | |
| सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम | 1,2,7 | 16 | |
| ऋणों की स्थिति / उधार | 1,2,6 | 15 | |
| कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश | | 14 | |
| रोकड़ | 1,2 | | 1,8 |
| लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश | 1,2 | 18,19 | |
| प्रत्याभूति | | 9 | |
| योजनाएँ | | | 5 (वाह्य सहायतित परियोजनाएँ), 6,7 |

(XVI)

(स)– पुस्तकीय समायोजन: कुछ लेनदेन पुस्तकीय समायोजन के प्रकृति के होने के कारण वास्तविक रोकड़ लेनदेनों को नहीं दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। विशिष्ट विवरण को लेखे की टिप्पणियों तथा सम्बन्धित विवरणों की पाद टिप्पणी में दिखाया गया है।

(i)– क्रियात्मक मुख्य लेखा शीर्षों (सम्बन्धित विभाग) को नामे करते हुए वेतन से सभी कटौतियों (सामान्य भविष्य निधि, अग्रिमों की वसूलियाँ इत्यादि) का समायोजन कर राजस्व प्राप्ति (जैसे सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त कटौतियाँ)/लोक लेखे (जैसे सामान्य भविष्य निधि) में पुस्तकीय समायोजन।

(ii)– समेकित निधि को नामे कर निधियों सृजन/लोक लेखे में निधियों का योगदान का समायोजन जैसे आपदा राहत निधि, आरक्षित निधि, ऋण शोधन निधि इत्यादि।

(iii)– समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखे में जमा शीर्षों के लेखे को जमा दिखाना।

(iv)– सामान्य भविष्य निधि में ब्याजों और राज्य सरकार के सामूहिक बीमा योजना में वार्षिक समायोजन, जहां लेखा शीर्ष 2049 ब्याज अदायगी को नामे कर लेखा शीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि में जमा कर राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि में ब्याज का समायोजन किया जाता है।

(v)– कुछ समायोजन जैसे ऋणों से मुक्ति योजना जिसको कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार ने मान लिया हो, जहां पर लेखा शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाएँ की विपरीत पृष्ठियों करके लेखा शीर्ष 6004 केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम द्वारा केन्द्र सरकार के ऋणों का अपलेखन किया गया हो। इस स्थिति में राजस्व प्राप्ति एवं लोक लेखा दोनों प्रभावित होते हैं।



1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| सम्पत्ति (अ) | सन्दर्भ (क्रम संख्या) | 31 मार्च 2012 | 31 मार्च 2011 |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | लेखों पर टिप्पणी | विवरण | |
| रोकड़ | | | |
| (i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | | (-) 5.38 | (-) 5.45 |
| (ii) विभागीय शेष | 18 | (-) 2.15 | (-) 2.15 |
| (iii) स्थायी नकद अग्रदाय | 18 | (-) 0.87 | (-) 0.87 |
| (iv) नकद शेष निवेश लेखा | 18 | 50.21 | 0.00 |
| (v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि जमा राशि है तो(+) से चिन्ह से सम्मिलित किया है।) | | 1,16.01 | 3,34.25 |
| (vi) उद्दिष्ट शेषों से निवेश (g) | 18 & 19 | 9,27.36 | 9,03.62 |
| पूंजीगत व्यय | | | |
| (i) कम्पनियों व निगमों के अंशों में निवेश | 13 | 13,37.47 | 12,95.96 |
| (ii) अन्य पूंजीगत व्यय | 13 | 1,45,02.41 | 1,22,26.98 |
| आकस्मिकता निधि (प्रतिपूर्ति के विनीत) | 18 | 97.30 | 5,54.35 |
| ऋण एवं अग्रिम | 16 | 8,74.08 | 7,17.90 |
| विभागीय अधिकारियों से अग्रिम | | | |
| उचंत तथा विविध शेष (s) | 18 | 8,38.35 | 4,25.38 |
| प्रेषण शेष | 18 | 13,40.47 | 8,74.34 |
| व्यय का प्राप्तियों पर संचयी अधिक्य (d) | परि. 8 एवं विव. 13 | 46,61.65 | 57,77.71 |
| योग | | 2,47,36.91 | 2,31,02.02 |

अ सम्पत्तियां तथा दायित्व संचयी (Cumulative) हैं कृपया 'लेखों पर टिप्पणी' संख्या 1 (ii) देखिए।

ब उद्दिष्ट निधियों का सरकारी कम्पनियों के अंश में निवेश पूंजीगत परिव्यय में सम्मिलित नहीं हैं तथा इनको उद्दिष्ट निधियों के निवेश के अन्तर्गत दिखाया गया है।

स इस विवरण में 'उचंत एवं विविध राशियों' में नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नहीं है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

द प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) अधिक या व्यय का प्राप्तियों से क्यूम्लेटिव अधिक, इस साल के राजस्व घाटा/राजस्व अधिक्य से भिन्न है।

(2)

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| दायित्व | सन्दर्भ (क्रम संख्या) | 31 मार्च 2012 | 31 मार्च 2011 |
|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | लेखों पर टिप्पणी | विवरण | |
| उधार (लोक ऋण) | | | |
| (i) आन्तरिक ऋण | 15 | 1,68,48.09 | 1,55,48.50 |
| (ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आयोजनेत्तर ऋण | 15 | 7.95 | 9.25 |
| आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण | 15 | 4,20.82 | 3,97.45 |
| केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज | 15 | 0.04 | 0.04 |
| केन्द्रीय पुनरोधित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज | 15 | 26.12 | 28.05 |
| अन्य ऋण | 15 | 0.53 | 0.53 |
| आकस्मिक निधि (कोरपस) | 18 | 2,00.00 | 6,00.00 |
| लोक लेखे पर दायित्व | | | |
| (i) अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि | 18 | 44,49.21 | 38,23.16 |
| (ii) निक्षेप | 18 | 16,52.69 | 16,19.79 |
| (iii) आरक्षित निधियां | 18 | 11,31.46 | 10,75.25 |
| (iv) प्रेषण शेष | | | .. |
| (v) उचंत और विविध शेष | | | .. |
| प्राप्तियों का व्यय पर संचयी अधिक्य | योग | 2,47,36.91 | 2,31,02.02 |

निक्षेप में अग्रिम समिलित है।

2. प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| प्राप्तियाँ | | | | भुगतान | |
|---------------------------------|------------|-------------|--|-------------|------------|
| | 2011-12 | 2010-11 | | 2011-12 | 2010-11 |
| भाग-1 समेकित निधि | | | | | |
| खण्ड के राजस्व | | | | | |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 1,36,91.24 | 1,16,08.16 | राजस्व व्यय | 1,29,75.19 | 1,16,21.07 |
| कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहित) | 56,15.62 | 44,05.47 | वेतन (अ) | 52,44.35 | 47,21.13 |
| करेत्तर राजस्व | | | उपादान | 2,19.67 | 43.49 |
| | | | अनुदान (ब) (स) | 13,97.95 | 15,14.60 |
| ब्याज प्राप्तियाँ | 50.62 | 53.76 | सामान्य सेवाएं | | |
| अन्य | 10,85.51 | 6,24.30 | ब्याज भुगतान व ऋण सेवा | 17,94.21 | 16,04.58 |
| योग | 11,36.13 | 6,78.06 | पैशान | 11,35.00 | 11,41.72 |
| संघीय करों का अंश | 28,66.04 | 24,60.07 | अन्य | 3,73.65 | 3,06.72 |
| | | | योग | 33,02.86 | 30,53.02 |
| | | | सामाजिक सेवाएं | 17,11.34 | 11,19.68 |
| | | | आर्थिक सेवाएं | 7,20.22 | 7,63.27 |
| केन्द्र से अनुदान | | 40,64.56 | स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश | 3,78.80 | 4,07.68 |
| राजस्व घटा | | 12.91 | राजस्व आधिक्य | 7,16.05 | .. |
| खण्ड ख पूँजीगत | | | | | |
| पूँजीगत प्राप्तियाँ | .. | .. | पूँजीगत व्यय | 23,16.94 | 18,54.04 |
| | | | सामान्य सेवाएं | 77.47 | 1,04.71 |
| | | | सामाजिक सेवाएं | 3,68.58 | 2,35.24 |
| | | | आर्थिक सेवाएं | 18,70.89 | 15,13.09 |
| ऋण तथा अग्रिम वसूली | 90.65 | 84.87 | ऋण तथा अग्रिम वितरण | 2,46.83 | 59.68 |
| | | | सामान्य सेवाएं | 0.41 | .. |
| | | | सामाजिक सेवाएं | .. | .. |
| | | | आर्थिक सेवाएं | 2,45.10 | 58.53 |
| | | | अन्य | 1.32 | 1.15 |
| लोक ऋण की प्राप्तियाँ | 32,43.78 | 30,88.16 | लोक कर्ज का पुनः भुगतान | 19,24.05 | 11,80.34 |
| आन्तरिक कर्ज (बाजार ऋण आदि) | 31,97.38 | 30,45.22 | आन्तरिक कर्ज (बाजार ऋण आदि) भारत सरकार से ऋण | 18,97.79 | 11,53.73 |
| भारत सरकार से ऋण | 46.40 | 42.94 | समेकित निधि की कुल व्यय | 26.26 | 26.61 |
| | | | शुद्ध अर्तराज्यीय समायोजन | (-) 4,00.00 | 5,15.00 |
| शुद्ध अर्तराज्यीय समायोजन | .. | .. | शुद्ध अर्तराज्यीय समायोजन | .. | .. |
| समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ | 1,70,25.67 | 1,47,81.19 | समेकित निधि का कुल व्यय | 1,70,63.01 | 1,52,30.93 |
| समेकित निधि में कमी | (-) 37.34 | (-) 4,49.74 | समेकित निधि में आधिक्य | .. | .. |
| भाग-2 आकस्मिकता निधि | | | | | |
| आकस्मिकता निधि | 1,26.13 | 5,81.62 | आकस्मिकता निधि | 69.07 | 5,36.71 |

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| प्राप्तियाँ | | | भुगतान | | 2011-12 | 2010-11 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|------------|---------|
| | 2011-12 | 2010-11 | | | | |
| खण्ड 3 लोक लेखा (य) | | | | | | |
| अल्प बचतें | 12,72.45 | 13,72.65 | अल्प बचतें | 6,46.40 | 5,02.93 | |
| संचय एवं ऋण शोधन निधि | 6,50.19 | 1,53.15 | संचय एवं ऋण शोधन निधि | 6,17.74 | 1,26.29 | |
| जमायें | 22,29.42 | 23,46.42 | जमायें | 21,96.68 | 23,00.83 | |
| अग्रिम | 1,01.50 | 1,17.28 | अग्रिम | 1,01.34 | 1,17.28 | |
| उचंत एवं विविध | 2,03,12.39 | 2,12,20.41 | उचंत एवं विविध (र) | 2,07,75.57 | 2,08,89.26 | |
| प्रेषण | 30,49.66 | 32,53.90 | प्रेषण | 35,15.79 | 35,56.81 | |
| लोक लेखा की कुल प्राप्तियाँ | 2,76,15.61 | 2,84,63.81 | लोक लेखा का कुल भुगतान | 2,78,53.52 | 2,74,93.41 | |
| लोक लेखा में कमी | 2,37.91 | ... | लोक लेखा में अधिक्य | .. | 9,70.40 | |
| प्रारम्भिक रोकड़ शेष | 3,28.81 | (-) 2,36.76 | अन्तिम रोकड़ शेष | 1,10.62 | 3,28.81 | |
| रोकड़ शेष में वृद्धि | .. | 5,65.57 | रोकड़ शेष में कमी | 2,18.19 | .. | |

अ. वेतन, सब्सिडी एवं सहायक अनुदान के आंकड़ों को सभी खण्डों से एकीकृत किया गया है। इस विवरण में समाजिक, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय में वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नहीं है। (विस्तृत जानकारी ब में)

ब. सहायक अनुदान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत इकाईयों तथा स्थानीय निकायों को दिया जाता है, जिसका ऊपर एकीकृत आंकड़ा दिया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को करों में क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

स. सहायक अनुदान में लघु शीर्ष—"20—सहायक अनुदान/अंशदान तथा राज्य सहायता" सभी मुख्य शीर्षों से सम्मिलित है। मुख्य शीर्ष-3604, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश अलग से दर्शाया गया है।

द. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1 अप्रैल 2011 को ₹ 65,66.15 करोड़ की राशि थी जोकि बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 68,98.32 करोड़ हुई।

य. ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-18 देखिए।

र. 'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे (मुख्य शीर्ष 8673) नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित है। इस कारण राशियाँ बढ़ी हुई लग रही हैं। कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-18 देखिए।

3. प्राप्तियों का विवरण

(I) समेकित निधि

| | | (करोड़ ₹ में) | |
|------|--------------------------------|---------------|----------|
| | वर्णन | 2011-12 | 2010-11 |
| क. | कर राजस्व | | |
| क. 1 | कर राजस्व | 56,15.62 | 44,05.48 |
| | भू-राजस्व | 10.18 | 18.31 |
| | स्टाप तथा पंजीकरण फीस | 5,24.05 | 4,39.50 |
| | राज्य उत्पादक शुल्क | 8,43.65 | 7,55.92 |
| | बिक्री कर | 36,43.51 | 29,40.48 |
| | वाहन कर | 3,34.69 | 2,27.26 |
| | अन्य | 2,59.54 | 24.01 |
| क. 2 | करों की शुद्ध समनुदेशित का भाग | 28,66.04 | 24,60.07 |
| | निगम कर | 11,28.07 | 9,61.53 |
| | निगम कर से भिन्न आय पर कर | 5,73.01 | 5,08.11 |
| | सम्पत्ति कर | 4.36 | 1.97 |
| | सीमा शुल्क | 4,96.90 | 4,30.16 |
| | संघ उत्पाद शुल्क | 3,21.54 | 3,12.93 |
| | सेवा कर | 3,42.16 | 2,45.37 |
| | योग क | 84,81.66 | 68,65.55 |

3. प्राप्तियों का विवरण

| ख | करेत्तर राजस्व | 2011-12 | 2010-11 (करोड़ ₹ में) |
|---|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| | पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के | 4,48.11 | 49.09 |
| | वाणिकी तथा बन्य प्राणी | 2,34.26 | 2,29.69 |
| | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 1,12.58 | 93.62 |
| | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 70.15 | 47.15 |
| | व्याज प्राप्तियाँ | 50.62 | 53.76 |
| | बिजली | 41.24 | 13.54 |
| | विविध सामान्य सेवाएं | 37.57 | 28.23 |
| | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 37.14 | 47.47 |
| | चिकित्सा तथा लोक रकारथ्य | 23.20 | 29.01 |
| | लोक निर्गमन कार्य | 17.85 | 24.83 |
| | पुलिस | 11.41 | 11.26 |
| | गध्यम सिंचाई | 7.93 | 5.03 |
| | फसल कृषि-क्रम | 4.54 | 3.78 |
| | सामाजिक रुक्षा तथा कल्याण | 3.87 | 1.98 |
| | लोक सेवा आयोग | 3.12 | 0.60 |
| | अन्य सामाजिक सेवाएं | 3.10 | 8.71 |
| | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 2.97 | 2.19 |
| | सहकारिता | 2.93 | 1.70 |
| | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 2.91 | 2.68 |
| | लद्दु सिंचाई | 2.90 | 2.20 |
| | श्रम तथा रोजगार | 2.42 | 2.22 |
| | आवास | 2.03 | 1.61 |

3. प्राप्तियों का विवरण

| (ब) | करेतर राजस्व | 2011-12 | 2010-11 (करोड़ ₹ में) |
|-----|------------------------------|----------|--------------------------|
| | जलपूर्ति तथा सफाई | 1.90 | 3.14 |
| | उद्योग | 1.73 | 1.13 |
| | सड़क तथा सेतु | 1.70 | 1.53 |
| | शहरी विकास | 1.67 | 3.02 |
| | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 1.57 | 2.24 |
| | पशुपालन | 1.57 | 1.84 |
| | पर्यटन | 0.83 | 1.75 |
| | ग्राम तथा लघु उद्योग | 0.68 | 0.44 |
| | जेल | 0.44 | 0.87 |
| | सिविल आपूर्ति | 0.41 | 0.70 |
| | डेरी विकास | 0.17 | 0.13 |
| | मुख्य सिंचाई | 0.14 | 0.07 |
| | सड़क यातायात | 0.13 | 0.19 |
| | नगर विमानन | 0.09 | 0.08 |
| | सूचना तथा प्रवार | 0.08 | 0.02 |
| | लाभांश तथा लाभ | 0.05 | 0.21 |
| | मछली पालन | 0.04 | 0.18 |
| | अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.04 | 0.03 |
| | परिवार कल्याण | 0.03 | 0.11 |
| | पहाड़ी क्षेत्र | 0.00 | 0.01 |
| | अन्य राजकोषीय सेवाएं | 0.00 | 0.01 |
| | अन्य कृषि कार्यक्रम | 0.01 | 0.01 |
| | योग ब | 11,36.13 | 6,78.06 |

3. प्राप्तियों का विवरण

| (ii) भारत सरकार से अनुदान | | (करोड़ ₹ में) | |
|---------------------------|---|---------------|------------|
| | विवरण | वास्तविक | |
| ग | अनुदान | 2011-12 | 2010-11 |
| | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 40,73.45 | 40,64.56 |
| | आयोजनेतार अनुदान | 762.09 | 14,35.20 |
| | संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आदेश का वितरण) | 7,01.85 | 5,55.11 |
| | प्राकृतिक आपदा राहत निधि में अंशदान हेतु अनुदान | ~4.00 | 6,27.55 |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | | |
| | अन्य अनुदान | 56.24 | 2,52.54 |
| | राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | 28,39.85 | 22,52.56 |
| | एकमुश्त (व्याक) अनुदान | 28,34.31 | 22,12.40 |
| | संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के अन्तर्गत अनुदान | .. | 2.50 |
| | अन्य अनुदान | 5.54 | 37.66 |
| | केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान | 9.87 | 20.71 |
| | केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | 4,61.64 | 3,56.09 |
| | योग ग | 40,73.45 | 40,64.56 |
| | योग—राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग) | 1,36,91.24 | 1,16,08.16 |

(9)
3. प्राप्तियों का विवरण

(iii) पूँजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां

(करोड़ ₹ में)

| घ. | वर्णन | वास्तविक | |
|----|---|------------|------------|
| | | 2011-12 | 2010-11 |
| | पूँजीगत प्राप्तियां | | |
| | विनिवेश आयत | .. | .. |
| | अन्य | .. | .. |
| | योग घ | .. | .. |
| ड. | लोक ऋण प्राप्ति | 32,43.78 | 30,88.16 |
| | आन्तरिक ऋण | 31,97.38 | 30,45.22 |
| | बाजार ऋण | 14,00.00 | 9,91.52 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (i) | 9,08.26 | 6,60.98 |
| | बॉन्ड्स | | |
| | वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 2,68.67 | 3,18.37 |
| | राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष सुरक्षा प्रदान करना | 5,36.39 | 10,74.35 |
| | अन्य ऋण | 84.06 | .. |
| | केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम | 46.40 | 42.94 |
| | आयोजनेत्तर ऋण | | |
| | राज्य आयोजनागत योजना | | |
| | हेतु ऋण | 46.40 | 42.94 |
| | केन्द्र आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण | .. | .. |
| | केन्द्रीयकृत समनुदेशित योजनाओं के लिए ऋण | .. | .. |
| | अन्य ऋण | .. | .. |
| | योग ड | 32,43.78 | 30,88.16 |
| च. | राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलिया) (ii) | 90.65 | 84.87 |
| च. | अंतराज्ञीय परिशोधन लेखा | | |
| | समेकित निधि की कुल प्राप्तियां (क,ख,ग,घ,ड व च) | 1,70,25.67 | 1,47,81.19 |

(i) अर्थोपाय अग्रिम

(ii) विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 7 और 16. खण्ड-2

4- व्यय का विवरण

(समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

| क्र. | व्याख्या | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|------|---|----------|---------|---------------|----------|
| क. | सामान्य सेवा | | | | |
| क. 1 | राज्य के अंग | | | | |
| | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल | 16.10 | | | 16.10 |
| | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 4.47 | | | 4.47 |
| | मंत्रीपरिषद् | 61.46 | | | 61.46 |
| | न्याय प्रशासन | 93.12 | | | 93.12 |
| | निर्वाचन | 28.51 | | | 28.51 |
| क. 2 | राजकोषीय सेवाएं | | | | |
| | भू राजस्व | 1,02.71 | | | 1,02.71 |
| | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 27.56 | | | 27.56 |
| | राज्य उत्पादक शुल्क | 7.77 | | | 7.77 |
| | बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर | 45.92 | | | 45.92 |
| | वाहन कर | 0.42 | | | 0.42 |
| | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 3.74 | | | 3.74 |
| | अन्य राजकोषीय सेवाएं | 3.68 | | | 3.68 |
| | ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन | 25.00 | | | 25.00 |
| | व्याज अदायगियां | 17,69.21 | | | 17,69.21 |
| क. 3 | प्रशासनिक सेवाएं | | | | |
| | लोक सेवा आयोग | 8.53 | | | 8.53 |
| | सचिवालय—सामान्य सेवाएं | 70.56 | | | 70.56 |
| | जिला प्रशासन | 65.63 | | | 65.63 |
| | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 43.60 | | | 43.60 |
| | पुलिस | 6,42.85 | 11.62 | | 6,54.47 |
| | जेल | 17.63 | | | 17.63 |
| | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 8.52 | 0.14 | | 8.66 |
| | लोक निर्माण—कार्य | 2,45.95 | | | 2,45.95 |
| | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 42.12 | 65.70 | | 1,07.82 |
| क. 4 | पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | | | | |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 11,35.00 | | | 11,35.00 |
| | विविध सामान्य सेवाएं | 5.05 | | 0.41 | 5.46 |
| | कुल सामान्य सेवाएं | 44,75.11 | 77.46 | 0.41 | 45,52.98 |

(11)

4— व्यय का विवरण

(समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

| | व्याख्या | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|------|---|----------|---------|---------------|----------|
| ख. | सामाजिक सेवाएं | | | | |
| ख. 1 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | | |
| | सामान्य शिक्षा (*) | 33,38.12 | 1,13.88 | | 34,52.00 |
| | तकनीकी शिक्षा (*) | 78.01 | 8.91 | | 86.92 |
| | खेलकूद तथा युवा सेवाएं (*) | 35.06 | 6.55 | | 41.61 |
| | कला एवं संस्कृति (*) | 11.67 | 2.13 | | 13.80 |
| ख. 2 | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | |
| | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 6,18.93 | 88.13 | | 7,07.06 |
| | परिवार कल्याण | 79.11 | 5.53 | | 84.64 |
| ख. 3 | जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | |
| | जलपूर्ति तथा सफाई | 2,62.51 | 80.69 | | 3,43.20 |
| | आवास | 1.74 | 38.84 | | 40.58 |
| | शहरी विकास | 1,71.10 | 0.09 | | 1,71.19 |
| ख. 4 | सूचना तथा प्रसारण | | | | |
| | सूचना तथा प्रसार | 36.37 | | | 36.37 |
| ख. 5 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1,77.37 | 11.93 | | 1,89.30 |
| ख. 6 | श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | |
| | श्रम तथा रोजगार | 54.00 | | | 54.00 |
| ख. 7 | समाज कल्याण तथा पोषण | | | | |
| | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 5,07.21 | 4.16 | | 5,11.37 |
| | प्राकृतिक विपर्ति के कारण राहत | 6,29.15 | | | 6,29.15 |
| ख. 8 | अन्य | | | | |
| | अन्य सामाजिक सेवाएं | 19.27 | 7.74 | | 27.01 |
| | संचिवालय—सामाजिक सेवाएं | 0.03 | | | 0.03 |
| | कुल सामाजिक सेवाएं | 60,19.65 | 3,68.58 | | 63,88.23 |

* मुख्य लेखा शीर्ष 4202 पूंजीगत लेखा शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए एक ही लेखा शीर्ष है।

4— व्यय का विवरण

(समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

| | व्याख्या | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|------|------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|
| ग. | आर्थिक सेवाएं | | | | |
| ग. 1 | कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप | | | | |
| | फसल कृषि क्रम | 4,29.13 | 4.65 | 15.00 | 4,48.78 |
| | मृदा तथा जल संरक्षण | 0.21 | | | 0.21 |
| | पशुपालन | 90.64 | 8.47 | | 99.11 |
| | डेशी विकास | 11.13 | | | 11.13 |
| | मछली पालन | 5.14 | 0.25 | | 5.39 |
| | वानिकी तथा बन्य प्राणी | 3,05.13 | 16.35 | | 3,21.48 |
| | बागानी | 0.56 | | | 0.56 |
| | खाद्य भण्डारण तथा भांडागार | 1,99.73 | 2,34.13 | | 4,33.86 |
| | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 1,14.76 | | | 1,14.76 |
| | सहकारिता | 35.16 | (-) 4.22 | 0.90 | 31.84 |
| ग. 2 | ग्राम विकास | | | | |
| | ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 70.81 | | | 70.81 |
| | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 2,64.48 | 2,26.03 | | 4,90.51 |
| ग. 4 | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | | | | |
| | मुख्य सिंचाई | 2,19.77 | 2,34.70 | | 4,54.47 |
| | मध्यम सिंचाई | 12.39 | 4.02 | | 16.41 |
| | लघु सिंचाई | 53.44 | | | 53.44 |
| | कमान क्षेत्र विकास | | 2,01.67 | | 2,01.67 |
| | बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास | 3.24 | 15.44 | | 18.68 |
| ग. 5 | ऊर्जा | | | | |
| | बिजली | 0.24 | 41.78 | 1,29.09 | 1,71.11 |
| | अपारप्परिक ऊर्जा स्रोत | 9.74 | | | 9.74 |
| ग. 6 | उद्योग तथा खनिज | | | | |
| | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 37.77 | 0.62 | | 38.39 |
| | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 5.10 | | | 5.10 |
| | दूरसंचार तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग | | | | |
| | उद्योग तथा खनिज | | | | |
| ग. 7 | परिवहन | | | | |
| | जहाजरानी | | 1.03 | | 1.03 |
| | नगर विमानन | 5.09 | | | 5.09 |
| | सड़क तथा सेतु | 1,56.45 | 8,14.60 | | 9,71.05 |
| | सड़क परिवहन | 13.75 | 41.67 | 1,00.11 | 1,55.53 |
| ग. 8 | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | | | | |
| | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 13.62 | | | 13.62 |
| ग. 9 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | |
| | सचिवालय—आर्थिक सेवाएं | 10.34 | 29.70 | | 40.04 |
| | पर्यटन | 28.12 | | | 28.12 |
| | जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 1.22 | | | 1.22 |
| | सिविल पूर्ति | 2.82 | | | 2.82 |
| | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 1.65 | | | 1.65 |
| | कुल आर्थिक सेवाएं | 21,01.63 | 18,70.89 | 2,45.10 | 42,17.62 |

(13)

4— व्यय का विवरण

(समेकित निधि)


क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

| | व्याख्या | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|----|--|------------|-------------|---------------|-------------|
| घ. | ऋण, अनुदान तथा अंशदान | | | | |
| | रथानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 3,78.80 | | | 3,78.80 |
| ड. | सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि | | | | |
| | सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम | | | 1.17 | 1.17 |
| | विविध ऋण | | | 0.15 | 0.15 |
| | | | | | |
| च. | लोक ऋण | | | | |
| | राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | | 18,97.79 | | 18,97.79 |
| | केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | 26.26 | | 26.26 |
| छ. | अन्तरराज्य समाशोधन लेखा | | | | |
| ज. | आकर्सिकता निधि में विनियोग | | (-) 4,00.00 | | (-) 4,00.00 |
| | कुल सीएफआई व्यय | 1,29,75.19 | 38,40.98* | 2,46.83 | 1,70,63.00 |

*सम्मिलित है।

- (1) पूंजीगत व्यय ₹ 23,16.94 करोड़
- (2) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण ₹ 18,9
- (3) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹ 26.2
- (4) आकर्सिक निधि में विनियोग ₹ (-) 4,00.00 करोड़



4—व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ ₹ में)

| व्यय के माध्यम | 2011-12 | | |
|---|----------|----------|----------|
| | राजस्व | पूंजीगत | योग |
| वेतन | 33,89.51 | | 33,89.51 |
| अनुदान/अंशादान/राज्य सहायता | 17,76.75 | 1.20 | 17,77.95 |
| ब्याज/लागांश | 17,69.21 | | 17,69.21 |
| पेंशन/मुआवजा | 11,32.52 | | 11,32.52 |
| महंगाई भत्ता | 16,12.92 | | 16,12.92 |
| अन्य व्यय | 15,73.00 | 51.52 | 16,24.52 |
| वेतन/भत्ते आदि के लिये सहायता अनुदान | 4,67.03 | | 4,67.03 |
| अन्य भत्ते | 3,30.82 | | 3,30.82 |
| वृहत निर्माण कार्य | 1,47.40 | 16,99.85 | 18,47.25 |
| अन्तर्राष्ट्रीय संकरण | 1,24.17 | | 1,24.17 |
| छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन | 1,36.97 | | 1,36.97 |
| मजदूरी | 1,33.74 | | 1,33.74 |
| अनुरक्षण | 1,28.03 | 0.90 | 1,28.93 |
| मानदेय | 1,16.29 | | 1,16.29 |
| अन्य | | | |
| सामग्री और आपूर्ति | 68.61 | 2,38.58 | 3,07.19 |
| यात्रा व्यय | 43.61 | | 43.61 |
| सहायता | 2,19.67 | | 2,19.67 |
| विद्युत देय | 41.52 | | 41.52 |
| उपकरण और संयंत्र | 47.36 | 1.25 | 48.61 |
| व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 52.44 | | 52.44 |
| गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद | 32.11 | | 32.11 |
| कार्यालय व्यय | 34.90 | | 34.90 |
| लघु निर्माण कार्य | 19.50 | 1.78 | 21.28 |
| औषधि तथा रसायन | 27.04 | | 27.04 |
| विज्ञापन और विक्री व्यय | 27.73 | | 27.73 |
| विकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 16.76 | | 16.76 |
| लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 10.31 | | 10.31 |
| फीस और किराया | 9.69 | | 9.69 |
| भोजन पर व्यय | 8.60 | | 8.60 |
| प्रशिक्षण में व्यय | 8.22 | | 8.22 |
| कमप्युटर इत्यादि की खरीद पर व्यय | 8.01 | | 8.01 |
| कमप्युटर का रखरखाव | 7.06 | | 7.06 |

4—व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ ₹ में)

| 2010-11 | | | 2009-10 | | |
|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| राजस्व | पूंजीगत | योग | राजस्व | पूंजीगत | योग |
| 33,93.15 | | 33,93.15 | 34,92.69 | .. | 34,92.69 |
| 19,20.49 | 1.79 | 19,22.28 | 18,47.33 | .. | 18,47.33 |
| 14,79.58 | | 14,79.58 | 13,37.97 | .. | 13,37.97 |
| 11,53.96 | | 11,53.96 | 10,45.35 | .. | 10,45.35 |
| 10,96.11 | | 10,96.11 | 6,75.75 | .. | 6,75.75 |
| 7,10.68 | 35.80 | 7,46.48 | 5,78.47 | 47.20 | 6,25.67 |
| 4,63.58 | | 4,63.58 | 4,19.33 | .. | 4,19.33 |
| 2,93.66 | | 2,93.66 | 2,58.75 | .. | 2,58.75 |
| 1,36.55 | 17,64.18 | 19,00.73 | 1,14.84 | 8,81.66 | 9,96.50 |
| 1,28.05 | | 1,28.05 | 50.00 | | 50.00 |
| 1,23.05 | | 1,23.05 | 1,04.31 | .. | 1,04.31 |
| 89.30 | | 89.30 | 72.90 | .. | 72.90 |
| 73.27 | 0.65 | 73.92 | 1,67.88 | .. | 1,67.88 |
| 64.98 | | 64.98 | 59.36 | | 59.36 |
| 60.98 | 10.78 | 71.76 | 68.71 | 1.81 | 70.52 |
| 49.83 | (-)16.25 | 33.58 | 31.37 | 56.00 | 87.37 |
| 43.78 | | 43.78 | 34.30 | | 34.30 |
| 43.49 | .. | 43.49 | 42.45 | | 42.45 |
| 42.71 | ... | 42.71 | 37.44 | | 37.44 |
| 42.56 | 2.98 | 45.54 | 36.38 | .. | 36.38 |
| 40.11 | .. | 40.11 | 27.71 | .. | 27.71 |
| 31.00 | .. | 31.00 | 28.00 | | 28.00 |
| 29.09 | .. | 29.09 | 36.79 | .. | 36.79 |
| 25.12 | 1.07 | 26.19 | 25.93 | .. | 25.93 |
| 24.91 | | 24.91 | .. | .. | 20.05 |
| 20.26 | | 20.26 | .. | .. | .. |
| 13.16 | | 13.16 | 10.35 | .. | 10.35 |
| 10.31 | | 10.31 | 12.37 | .. | 12.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4—व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ ₹ में)

| व्यय के माध्यम | 2011-12 | | |
|----------------------------|-------------|----------|-------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | योग |
| टेलीफोन व्यय | 5.71 | | 5.71 |
| कार्यालय फर्माचर एवं उपकरण | 5.62 | 0.14 | 5.76 |
| कार्यालय स्टाफ कार की खरीद | 4.77 | | 4.77 |
| स्थानान्तरण यात्रा पर व्यय | 4.17 | | 4.17 |
| अतिथि भत्तो | 2.99 | | 2.99 |
| पानी दर-एव्व टैक्स | 2.95 | | 2.95 |
| प्रकाशन | 2.90 | | 2.90 |
| गुप्त सेवा व्यय | 1.35 | | 1.35 |
| छुटटी यात्रा व्यय | 0.53 | | 0.53 |
| महंगाई वेतन | 0.10 | | 0.10 |
| | 0.02 | | 0.02 |
| अन्य/ऋण | | 44.78 | 44.78 |
| वसूलियां | (-) 5,77.42 | 2,76.94 | (-) 3,00.48 |
| योग — | 1,29,75.19 | 23,16.94 | 1,52,92.13 |

रुपये 62.67 लाख अवकाश नकदीकरण के सम्बलित है।

(18)

4-व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ रु में)

| 2010-11 | | | 2009-10 | | |
|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| राजस्व | पूंजीगत | योग | राजस्व | पूंजीगत | योग |
| 9.15 | 0.06 | 9.21 | .. | .. | .. |
| 7.32 | | 7.32 | 10.46 | .. | 10.46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0.88 | | 0.88 | 20.05 | .. | 20.05 |
| 0.00 | 53.78 | 53.78 | .. | 6,60.06 | 6,60.06 |
| 1,16,21.07 | 18,54.84 | 1,34,75.91 | 1,06,57.47 | 16,46.73 | 1,23,04.20 |

लेखों पर टिप्पणियां

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सांराश।

(i) लेखांकन अवधि एवं इसके आवश्यक तत्त्वः

ये लेखे उत्तराखण्ड सरकार के 01-04-2011 से 31-03-2012 तक की अवधि के लेनदेनों को प्रदर्शित करते हैं।

(ii) लेखों का आधारः ये लेखे कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद के साथ लेखा अवधि के वास्तविक प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। परिसम्पत्तियों एवं सरकार के विनियमों आदि का मूल लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मौलिक परिसम्पत्तियों को हासित एवं अवमूल्यित नहीं किया जाता है। मौलिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा की समाप्ति पर इनके मूल्यों को भी नहीं आँका जाता है।

सरकार के पेंशन दायित्व जो कि कर्मचारियों के पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के सेवानिवृति लाभों से सम्बन्धित हैं, को लेखे में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, सेवानिवृत्त लाभ जो कि लेखे के दौरान वितरित किए गए हैं लेखे में प्रदर्शित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों पर किया गया व्यय ₹ 11,35.00 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 8.75 प्रतिशत) था। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्य सरकारों के मध्य पेंशन से सम्बन्धित देय का विभाजन विचाराधीन है। “Cut of Date” की व्याख्या उत्तराखण्ड सरकार ने विधि मंत्रालय भारत सरकार को सन्दर्भित किया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं: सरकार के लेखे भारतीय ₹ में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(iv) लेखों का स्वरूपः संविधान के अनुच्छेद, 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में जैसे कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करे, रखे जाते हैं। अनुच्छेद, 150 में प्रयुक्त शब्द “प्रारूप” (Form) का एक विशिष्ट तात्पर्य है जिसके अन्तर्गत न केवल विस्तृत स्वरूप जिनमें लेखे रखे जाते हैं बल्कि लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षों को चुनाव भी शामिल है।

(v) राजस्व एवं पूंजीगत का वर्गीकरणः राजस्व व्यय आवृत्तक प्रकृति के होते हैं जो राजस्व प्राप्ति से पूरित होते हैं। पूंजीगत परिव्यय स्थायी प्रकार की परिसम्पत्तियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यय के रूप में परिभाषित हैं। सहायक अनुदानों के व्यय को अनुदान दाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है। प्राप्त कर्ता के लेखों में इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

2. विवरणों को सम्मिलित किए जाने की स्थिति/वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा सस्तुत सूचनाएँ:

बारहवें वित्त आयोग ने वित्त लेखे में आठ नए विवरणों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। “वर्ष के दौरान नई योजनाएँ हेतु प्रस्तावित भविष्य के रोकड़ प्रवाह निहितार्थ मुख्य निति निर्धारण का विवरण” इस साल के वित्त लेखे में सम्मिलित किया गया है। मात्र विवरण “भविष्य में होने वाले दायित्वों के ऑकड़े” का विवरण सम्मिलित करना शेष है। इससे पुनरीक्षित किया जा रहा है।

3. मुख्य लेखा शीर्ष-800 ‘अन्य प्राप्तियां’ एवं ‘अन्य व्यय’ राजस्व लेखों में पचास (50) मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के किया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 34,38.94 करोड़ जो कुल राजस्व व्यय का 26.50 प्रतिशत है को लघुशीर्ष-800 ‘अन्य व्यय’ के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार सैतीस (37) मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के किया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 12,66.23 करोड़ जो कुल प्राप्ति का 9.25 प्रतिशत है को 800—लघुशीर्ष—अन्य प्राप्ति अंकित कर लेखांकित किया गया है। लेखों में पांच मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की अधिकांश धनराशि अन्य व्यय में पुस्तांकित की गई है। इसी प्रकार प्राप्ति के संबंध में 15 मुख्य लेखाशीर्षों में भी पुस्तांकित किया गया है। इस प्रकार वित्त लेखे में वृहद योजनाओं को पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। यद्यपि, विनियोग लेखे जो कि राज्य सरकार के लेखे के भाग के रूप में निर्मित होते हैं, में इन व्ययों को सुसंगत लेखा शीर्षों के अन्तर्गत उपशीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदान की विस्तृत मांग के नीचे प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय सूचना की उच्च पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह निश्चित शीर्षों/योजनाओं में बजट प्रदान करें।
4. ए०सी० बिलों का असमायोजित रहना: आहरण वितरण अधिकारियों को ए०सी० बिलों के माध्यम से, संबन्धित सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनको चाहिए कि इन सभी मामलों में विस्तृत आकस्मिक व्यय विवरण तैयार कर (अन्तिम व्यय के समर्थन में वाउचर संलग्न करते हुए) निर्धारित अवधि में समायोजन कर दें। वर्तमान में ₹ 53.97 करोड़ की राशि के तीन सौ पैतालीस (345) डी०सी० बिल अभी तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ले० एवं हक०) में अप्राप्त/असमायोजित हैं। इसके फलस्वरूप डी.सी. बिलों के विलम्ब से प्रस्तुत करने

(21)

तथा एसी. बिलों के असमायोजन से सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्ष मे वास्तविक तथा सही व्यय का आंकलन नहीं हो पाता है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक असमायोजित बिलों का विवरण निम्नवत् है—

| वर्ष 2008-09 | असमायोजित धनराशि | मदों की संख्या |
|--------------|------------------|----------------|
| 2008-09 | ₹ 3.00 करोड़ | 2 |
| 2009-10 | ₹ 1.34 करोड़ | 14 |
| 2010-11 | ₹ 45.92 करोड़ | 170 |
| 2011-12 | ₹ 03.71 करोड़ | 159 |

5. **प्राप्ति एवं व्ययों का मिलान:** सभी नियन्त्रण अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने प्राप्ति एवं व्ययों के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार के आंकड़ों से कर लें, परन्तु मिलान कार्य मात्र 73 प्रतिशत नियन्त्रण अधिकारियों के स्तर से ही पूरा किया गया है जो राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 1,52,92.12 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 93,28.20 करोड़ (राजस्व एवं पूँजीगत) का ही मिलान किया गया, जबकि कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 1,36,91.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,20,16.96 करोड़ का 52 प्रतिशत नियन्त्रण अधिकारियों ने किया है।
6. **नकदी अवशेष:** प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आगणित नकदी अवशेष ₹ 11.65 करोड़ (क्रेडिट) था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च को अधिसूचित नकद अवशेष ₹ 19.44 करोड़ (डेबिट) था। दोनों आंकड़ों में ₹ 7.79 करोड़ (डेबिट) का अन्तर पाया गया है। अन्तर का मुख्य कारण राज्य कोषागारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों में भिन्नता होना है। जिसका मिलान किया जा रहा है।
7. **वचनबद्धताएँ:** विवरण सं० 9 में दर्शायी गई प्रतिभूतियां राज्य सरकार द्वारा (बजट साहित्य) उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित है, राज्य सरकार ऐसी गारन्टी जारी करने के लिए अधिकृत है। भारत सरकार के लेखा स्टेंडर्ड-1 के अन्तर्गत प्रतिभूतियों को तीन प्रारूपों, सेक्टर, क्लास तथा सेक्टर-क्लास में प्रदर्शित करने की अपेक्षा की गई है। राज्य सरकार के बजट में इस सम्बन्ध में प्रयोग्य सूचना उपलब्ध नहीं है। ₹ 25 करोड़ प्रतिभूति विमोचन कोष को अन्त रेत किया गया है, जबकि कोष से किया गया भुगतान शुन्य है।

(22)

8. **ऋण एवं निवेश:** ऋण एवं निवेशों के विस्तृत लेखों का रख रखाव राज्य सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है, इस संबन्ध विवरण संख्या 14 में उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित आंकड़े पंजीगत लेखे में मुख्यता लद्यु शीर्ष “190 सरकारी क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश” तथा को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
9. **उच्चन्त शेष:** वित्तीय लेखों में उच्चन्त एवं प्रेषण शीर्षों के निबल शेष दर्शाये जाते हैं उक्त शीर्षों के असमायोजित शेषों के डेबिट एवं क्रेडिट के सकल शेषों को जोड़कर पृथक—पृथक सम्बन्धित शीर्षों में आगणित कर दर्शाया जाता है। मुख्य शीर्ष उच्चन्त की पिछले तीन वर्षों की सकल राशि की स्थिति निम्नवत् है—

(₹ करोड़ में)

| लघु शीर्ष | 2011-12 | | 2010-11 | | 2009-10 | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 101—वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चन्त | 51.16 | 3.17 | 53.39 | 3.16 | 19.88 | 3.05 |
| निबल | (नामे) 47.99 | | (नामे) 50.23 | | (नामे) 16.83 | |
| 102—उच्चन्त लेखा (सिविल) | 6,67.44 | 3,56.19 | 4,42.76 | 3,54.52 | 5,45.25 | 3,45.91 |
| निबल | (नामे) 3,11.25 | | (नामे) 88.24 | | (नामे) 199.34 | |
| 107—नकद समायोजन उच्चन्त लेखा | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.26 |
| निबल | (जमा) 0.15 | | (जमा) 0.15 | | (जमा) 0.15 | |
| 109—रिजर्व बैंक मुख्या० उच्चन्त | (-) 0.26 | (-) 0.26 | (-) 0.26 | (-) 0.26 | (-) 0.26 | (-) 0.26 |
| निबल | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 110—रिजर्व बैंक उच्चन्त के०ले० कार्यालय | 6,20.50 | 2,19.70 | 6,20.57 | 2,19.70 | 6,20.49 | 2,19.70 |
| निबल | (नामे) 4,00.80 | | (नामे) 4,00.87 | | (नामे) 4,00.79 | |
| 111—विभागीय समायोजन लेखा | 2,24.65 | 19.61 | 2,24.65 | 19.61 | 2,24.65 | 19.61 |
| निबल | (नामे) 2,05.04 | | (नामे) 2,05.04 | | (नामे) 2,05.04 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 112--टी०डी०एस० उच्चन्त | 28.03 | 1,19.14 | 28.03 | 97.50 | 28.03 | 79.68 |
| निबल | (जमा) 91.11 | | (जमा) 69.47 | | (जमा) 51.65 | |
| 113--भविष्य निधि उच्चन्त | 23.58 | 23.90 | 23.58 | 9.88 | 23.25 | 8.55 |
| नबल | (जमा) 0.32 | | | | (जमा) 14.70 | |
| 117--रिजर्व बैंक के वारते लेनदेन | 18.10 | 16.63 | 18.10 | 16.73 | 17.96 | 16.63 |
| निबल | (नामे) 1.47 | | | | (नामे) 1.23 | |
| 123--आ०भा०से० के अधिकारियों का समूह बीमा | 0.12 | 0.30 | 0.11 | 0.27 | 0.07 | 0.24 |
| निबल | (जमा) 0.18 | | | | (जमा) 0.17 | |
| 129--वस्तु क्रय समायोजन उच्चन्त लेखा | 0.03 | (-) 0.73 | 0.03 | (-) 0.68 | 0.03 | (-) 0.68 |
| निबल | (नामे) 0.76 | | (नामे) 0.71 | | (नामे) 0.71 | |

उपर दी गई नामे एवं जमा राशियां प्रगामी धनराशियों को प्रदर्शित करता है इन शीर्षों का अध्यन करने से यह ज्ञात होता है कि “वेतन तथा कार्यालय उच्चन्त” में डेबिट बैलेंस कम हो गई है जबकि उच्चन्त लेखा सिवन में डेबिट बैलेंस बढ़ गया है। उक्त शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित अवशेषों के निस्तारण हेतु सतत प्रयास जारी है। यद्यपि, उच्चन्त एवं प्रेषण शेषों में लम्बित भद्रों का निस्तारण सरकारी विभागों/निर्माण एवं वन प्रखण्डों/भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय मंत्रालय तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है।

10. **आकस्मिकता निधि:** राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि का कार्पस ₹ 6,00.00 करोड़ से घटाकर ₹ 2,00.00 करोड़ कर दिया है। इस में से ₹ 97.30 करोड़ की धनराशि वर्ष के अन्त तक असमायोजित पड़ी हैं।
11. **आरक्षित निधि:** बारहवें वित्त आयोग ने बैंकों से ऋण तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादी के दायित्व के परिशोधन हेतु शोधन निधि का गठन की संस्तुति की है। जो कि ऋणों के प्रवाह तथा गारंटी मोचन निधि से राज्य के गारंटी दायित्वों के निस्तारण के सिवाय अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी।

- (i) **ऋण शोधन निधि:** वर्ष 2000-01 में उत्तराखण्ड सरकार ने 2004-05 से खुले बाजार ऋण के प्रवाह के लिए 'संगठित ऋण शोधन निधि' का गठन किया। वर्ष 2011-12 में समेकित निधि से ऋण शोधन निधि में ₹ 25 करोड़ का स्थानान्तरण किया गया। वर्ष के अन्त में इस निधि में कुल ₹ 978 करोड़ थे जो कि कुल बाजार ऋण (₹ 83,94.32 करोड़) का 11.65 प्रतिशत है। इस निधि की कुल संकलित धनराशि में से ₹ 9,02.36 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश किये हैं।
- (ii) **गारंटी मोचन निधि:** वित्त आयोग की संस्तुतियों पर उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन किया है। इस निधि में वर्ष 2011-12 के अन्त तक कुल ₹ 25 करोड़ जमा थे। वर्ष 2011-12 के दौरान कोई भी धनराशि इसमें स्थानान्तरित नहीं की गई।
- (iii) **अन्य निधियां:** उपरोक्त निधियों के अतिरिक्त अन्य छः निधियां हैं जिन में से दो निधियां सक्रिय हैं। वर्ष 2011-12 के अन्त तक इन निधियों में कुल ₹ 128.46 करोड़ थे। (₹ 110.09 करोड़, सक्रिय निधियों में तथा ₹ 18.37 करोड़ निष्क्रिय निधियों में थे।)
12. राज्य सरकार, राज्य/जिला स्तर की स्वायतशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों, सोसईटी बगैर सरकारी संगठनों आदि को केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं (राज्य का हिस्सा) एवं राज्य सरकार, की योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराती है। क्योंकि निधियों का उपयोग इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है अतः इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में न लायी गई सकल राशि (बैंक में) रख दी जाती है जो आसानी से पता नहीं की जा सकती है। इस प्रकार सरकारी व्यय जिस सीमा तक लेखे में दर्शाया गया अन्तिम नहीं है।
13. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 से राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और प्रर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करे।

अधिनियम के धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य के विधान सभा में वार्षिक वजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति रखने का प्रावधान है तथा इस प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा खत्म होगा तथा राजकोषीय घाटे को टिकाऊ स्तर पर रखा जाय तथा प्रयाप्त राजस्व आधिक्य बनाया जाय।

संशोधित अधिनियम की धारा 4 (3a) में चार साल की अवधि माह “अप्रैल 2011 से मार्च 2015” के दौरान राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 7,16.05 करोड़ का हुआ तथा इस प्रावधान का अनुपालन किया गया।

संशोधित धारा 4 (3c) के अन्तर्गत राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 3.00 प्रतिशत रखेगी। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 17,57.07 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 6,08,98.00 करोड़) का 2.89 प्रतिशत था। जो कि संशोधित एफ. आर. वी. एम. धारा के 3.5 प्रतिशत की शर्त से कम है।

धारा 4 (3e) में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार ऐसी किसी सीमा से अधिक गारंटी नहीं देगी जो विधि के द्वारा प्रचलन में न हो अथवा किसी ऐसे कानून में निर्धारित हो जिससे अकत अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार बनायेगी। राज्य सरकार ने यह सूचित नहीं किया है कि ऐसा कोई कानून बनाया गया अथवा नहीं।

14. **आपत्तिगत बही उच्चन्तः प्राप्ति** एवं व्यय की मदें जो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण या अपूर्ण विवरण के कारण जो लेखे के अन्तिम शीर्ष में नहीं ली जा सकी उन्हे मुख्य लेखाशीर्ष 8658-उच्चन्तः लेखे, लघु शीर्ष 102-उच्चन्तः सिविल के अन्तर्गत आपत्तिगत बही उच्चन्तः में पुस्तांकित कर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 59.08 करोड़ के आपत्तिगत बहो उच्चन्तः का समायोजन किया गया। इसमें से ₹ 57.40 करोड़ राजस्व व्यय में तथा ₹ 1.68 करोड़ पूजिगत व्यय में किया गया है। यह मदें जब भी उच्चन्तः से निस्तारित होती है इन्हे वास्तविक लेखाशीर्ष में पुस्तांकित कर दिया जाता है इससे राजस्व अधिक्य में कमी हुई है।

15. लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है:

| वर्ष | लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या | सम्बद्ध धनराशि (करोड़ ₹ में) |
|---------------|---|------------------------------|
| 2009-10 तक | 315 | 2,12.75 |
| 2010-11 तक | 74 | 1,52.70 |
| 2011-12 तक | 139 | 1,31.20 |

16.(i) परिशिष्ट-XI जो कि रखरखाव व्यय से सम्बन्धित है, में वेतन भाग परिलक्षित नहीं होता है

क्योंकि यह लेखे में अलग से लेखांकित नहीं है।

(ii) विवरण संख्या 2/परिशिष्ट II में वेतन राज्य क्षेत्र के वेतन को ही परिलक्षित करता है, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों के वेतन को लेखों में अलग से नहीं लिया गया है, यद्यपि यह पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त अनुदान का भाग है।

(iii) सब्सीडी का विस्तृत विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

(27)
बही समायोजन
"अ" मियादी समायोजन

(करोड ₹ में)

| क्र.सं. | बही समायोजन | लेखों के शीर्ष से | राशि | टिप्पणी |
|---------|--|------------------------------------|-------------|---|
| | | को | | |
| 1- | 2049- व्याज भुगतान | 8009- सामान्य भविष्य निधि | 3,68.64 | भविष्य निधि पर व्याज का भुगतान |
| 2- | 2245 प्राकृतिक आपदा के कारण राहत | 8121 सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि | 1,23.54 | भारत सरकार से राहायता अनुदान एवं राज्यांश निधि को रथानान्तरित। |
| 3- | 2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन | 8222- ऋण शोधन निधि | 25.00 | समेकित ऋण शोधन निधि को अर्शदान |
| 4- | 7999- आकस्मिकता निधि को विनियोजन | 8000 आकस्मिकता निधि | (-) 4,00.00 | राज्य आकस्मिकता निधि का कार्पस में ₹ 2,00.00 करोड़ की घटोतरी। |

अनुलग्नक अ (i)

मुख्य लेखा शीर्ष जहां अधिकाशं व्यय "अन्य व्यय"में वर्गीकृत है
व्यय(राजस्व)

(करोड रु में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | कुल व्यय | लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत |
|---|----------|--------------------------------|---------------------|
| 2041-वाहन कर | 0.42 | 0.42 | 100.00 |
| 2075-विविध सामान्य सेवाएँ | 5.05 | 5.05 | 100.00 |
| 2407-बागान | 0.56 | 0.56 | 100.00 |
| 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ | 19.27 | 19.25 | 99.90 |
| 2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 70.81 | 68.21 | 96.33 |

(29)

अनुलग्नक अ (ii)

**मुख्य लेखा शीर्ष जहां अधिकाशं प्राप्तियां “अन्य प्राप्तियां”में वर्गीकृत हैं
प्राप्तियां (राजस्व)**

(करोड़ ₹ में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | कुल प्राप्तियां | लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां | कुल प्राप्तियों का प्रतिशत |
|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 0023-होटल प्राप्ति कर | 14.01 | 14.01 | 100.00 |
| 0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस | 5,24.05 | 5,24.05 | 100.00 |
| 0056- कारागार | 0.44 | 0.44 | 100.00 |
| 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 23.20 | 23.20 | 100.00 |
| 0217- शहरी विकास | 1.67 | 1.67 | 100.00 |
| 0235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3.87 | 3.87 | 100.00 |
| 0250- अन्य सामाजिक सेवायें | 3.10 | 3.10 | 100.00 |
| 0401-फसल कृषि कर | 4.54 | 4.54 | 100.00 |
| 0406-वानिकी एवं वन्य जीव | 2,34.26 | 2,34.26 | 100.00 |
| 0801-विद्युत | 41.24 | 41.24 | 100.00 |
| 0852- उद्योग | 1.73 | 1.73 | 100.00 |
| 1452-पर्यटन | 0.83 | 0.83 | 100.00 |
| 0851-ग्राम एवं लघु उद्योग | 0.68 | 0.67 | 98.53 |
| 0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान | 4,48.11 | 4,00.00 | 89.26 |
| 0059-लोक निर्माण कार्य | 17.85 | 15.68 | 87.84 |

परिशिष्ट - 1
रोकड़ प्रवाह विवरण

(करोड़ ₹ में)

| क | सामान्य रोकड़ शेष: | 31 मार्च 2012 | 31 मार्च 2011 |
|---|---|---------------|---------------|
| | 1. कोषागारों में शेष | 0.00 | 0.00 |
| | 2. रिजर्व बैंक में जमा | 1,16.01 | 3,34.25 |
| | 3. स्थानीय प्रेषण चलन में | (-) 5.38 | (-) 5.45 |
| | योग (1 से 3) | 1,10.63 | 3,28.80 |
| | 4. रोकड़ शेष निवेश लेख | 50.21 | .. |
| | योग (क) | 1,60.84 | 3,28.80 |
| ख | अन्य रोकड़ शेष व विनियोग | | |
| | 1. विभागीय रोकड़ शेष | (-) 2.15 | (-) 2.15 |
| | 2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय स्थाई अग्रिम | (-) 0.87 | (-) 0.87 |
| | उद्दिष्ट निधि के आलावा विनियता | 9,27.36 | 9,03.62 |
| | योग (ख) | 9,24.34 | 9,00.60 |
| | योग (क) एवं (ख) | 10,85.18 | 12,29.40 |

व्याख्यायित टिप्पणियां

क) रोकड़ एवं रोकड़ के समान:

रोकड़ एवं रोकड़ के समान में कोषागारों में रोकड़ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों में जमा एवं प्रेषण जैसा कि ऊपर दिया गया है, सम्मिलित है। 'रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के शेष {उपरोक्त क (2)} वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक ऋण के संयुक्त शेषों को बताते हैं। रोकड़ की पूर्ण स्थिति 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' में जमा के अन्तर्गत कोषागारों के शेषों, रोकड़ शेषों के अलावा विनियोग एवं विभाग संचित निधि इत्यादि के शेषों से प्राप्त हो सकती है।

(ii)

परिशिष्ट – 1

रोकड़ प्रवाह विवरण

(ख) दैनिक रोकड़ शेष:

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन का ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना है यदि शेष राशि किसी दिन कम हो जाती है तो यह कमी समय–समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त कर अधिविकर्ष द्वारा पूरी की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष प्रदान किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लेनदेनों के साथ 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन करता है (भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राज्यीय लेनदेनों एवं अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित किए गए कोषागार लेनदेनों द्वारा) इस प्रकार जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, ट्रेजरी बिलों यदि कोई हो की 14 दिन की परिपक्वता अवधि इसमें जोड़ दी जाती है यदि कोई अधिक शेष न्यूनतम रोकड़ शेष के पश्चात प्राप्त होता है तो उसे ट्रेजरी बिलों में विनियोजित कर दिया जाता है।

यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है और उस दिन कोई ट्रेजरी बिल जो 14 दिनों में परिपक्व होने वाला ना हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपरिपक्व ट्रेजरी बिलों का भी मूल्यांकन करता छे और कमी को पूण्ड कर दिया जाता है यदि उस दिन इस प्रकार के ट्रेजरी बिल भी न हों तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के बिल आवेदित करती है।

(iii)

(ग) अर्थोपाय अग्रिम:

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 01-04-2009 से ₹1,45.00 करोड़ थी।

बैंक राज्य सरकार के प्रातिभूतियों के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ। बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय—समय पर पुनरीक्षित करता है वज्र 2011-12 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 1,49.55 करोड़ से ₹ 1,50.93 करोड़ थी।

अग्रिमों, कमियों एवं ओवर ड्राफ्टों पर देय ब्याज निम्नवत है।

न्यूनतम अवशेष में कमी दर

(अ) सामान्य आर्थोपाय अग्रिम

| | |
|---|------------|
| (i) 90 दिनों तक | 8 प्रतिशत |
| (ii) 90 दिनों से आगे | 9 प्रतिशत |
| (आ) विशेष अर्थोपाय अग्रिमे | 7 प्रतिशत |
| (इ) ओवर ड्राफ्ट | |
| (i) सामान्य के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिम/सीमा | 10 प्रतिशत |
| (ii) सामान्य के ऊपर अर्थोपाय अग्रिम/सीमा | 13 प्रतिशत |
| वर्ष 2011-12 में सरकार द्वारा बैंक में निम्नवत न्यूनतम रोकड़ शेष सीमांकित किया— | |
| (i) दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष रहा। | 305 दिन |
| (ii) दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। | |
| शेष रहा। | 15 दिन |
| (iii) दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। | 58 दिन |
| (iv) दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात तथा अधिविकर्ष को छोड़कर न्यूनतम शेष में कमी रही। — | शून्य दिन |
| (v) दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया। | शून्य दिन |

(*) उपरोक्त रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक में जमा 31 मार्च का रोकड़ शेष है जो कि 16 अप्रैल को आगणित किया गया न कि 31 मार्च के दैनिक शेष से।

(iv)
(iii)

प्राप्ति छायांकन (रु.)

(घ) खजाना बिल

दृष्टिकोण ००.८५-१० कोरड़ी समिति के प्रतिक्रिया विभाग के प्राप्ति छायांकन

(द) दिनांक 01-04-2011 से दिनांक 3-03-2012 तक ₹ 79,71.79 करोड़ के देजरी बिल क्रय

किए गए तथा ₹ 79,21.59 करोड़ के बिक्री किए गए शेष शब्द्य रहा।

छायांकन विभाग द्वारा देजरी के लिए दृष्टिकोण ००.८५-१० कोरड़ी समिति के प्रतिक्रिया विभाग के प्राप्ति छायांकन (रु.)

(स) दिनांक 31-03-2012 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से निम्नवत विनियोजन दृष्टिकोण ००.८५-१० के द्वारा दृष्टिकोण ००.८५-१० के प्रतिक्रिया विभाग के प्राप्ति छायांकन (रु.)

किया गया :-

| क्र. सं. | रोकड़ शेष निवेश लेखा | उद्दिष्ट निधि | योग |
|----------|----------------------------|---------------|---------|
| 1. | भारत सरकार की प्रतिभूतियां | .. 9,27.36 | 9,27.36 |
| 2. | भारत सरकार के कोषागार बिल | 50.21 .. | 50.21 |

प्राप्ति छायांकन (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

संखी ३१३

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

संखी ३१४

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

संखी ३१५

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

संखी ३१६

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)

प्रतिक्रिया विभाग दृष्टिकोण (रु.)